दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

प्रधान कार्यालय, ए-25/27, आसफ अली रोड़, नई दिल्ली - 110002

सर्वजोखिम बीमा पॉलिसी

जबकि यहां अनुसूची में वर्णित बीमाकृत व्यक्ति (जिसे इसके पश्चात् बीमाकृत व्यक्ति कहा गया है) ने, प्रस्ताव और घोषणा द्वारा, जो इस संविदा का आधार होगा और जिसे यहां समाविष्ट किया गया समझा गया है, एतद्पश्चात् निहित बीमा के लिए **दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड** (जिसे इसके पश्चात् 'कंपनी' कहा गया है) के पास आवेदन प्रस्तुत किया है और कथित अनुसूची में निहित अवधि के दौरान और ऐसी आगामी अवधि के दौरान जिसके लिए कंपनी इस पॉलिसी के नवीकरण अथवा विस्तार के लिए प्रीमियम स्वीकार करे, ऐसे बीमा के प्रतिफल के रूप में कथित अनुसूची में अंकित प्रीमियम का भुगतान कर लिया है।

यहां निहित पृष्ठांकित अथवा अन्यथा यहां अभिव्यक्त शर्तों, प्रतिबंधों और अपवर्जनों के अध्ययीन कंपनी एतद्द्वारा स्वीकार करती है कि बीमाकृत व्यक्ति अथवा इसके पारिवारिक सदस्य (सदस्यों) की संपत्ति इस बीमा अवधि के दौरान किसी भी समय किसी आकस्मिक कारण से अग्नि, उपद्रव और हड़ताल, आतंकवादी गतिविधि, चोरी या दुर्घटना से हुई हानि, विनाश या क्षति के प्रति उसके अंतर्निहित मूल्य की सीमा तक और यहां अनुसूची में वर्णित सीमाओं के अंतर्गत उसकी (बीमाकृत व्यक्ति) क्षतिपूर्ति की जाएगी। सदैव इस उपबंध के साथ कि कंपनी का दायित्व किसी भी प्रकरण में प्रत्येक मद अथवा एतद्द्वारा बीमाकृत समग्र राशि से अधिक नहीं होगा।

अपवर्जन

कंपनी निम्नांकित के संबंध में उत्तरदायी नहीं होगी:-

1. किसी सफाई, डाईंग (रंगाई) व ब्लीचिंग, सुधार मरम्मत या नवीनीकरण की प्रक्रिया द्वारा घटित हानि अथवा सामान्य टूटफूट, कीड़े-मकोड़े, पीडक जंतु (टर्मिन), पतंगों या फंफूद या अन्य क्रमिक प्रचालन के कारण खराबी।
2. क्राकरी, ग्लास (कांच), कैमरा, दूरबीन, लैंस, मूर्ति, क्यूरियस, चित्र, संगीत वाद्य यंत्र, स्पोर्ट्स गीयर और अन्य टूटने वाले या बिखरने वाली वस्तुओं की टूटफूट, उन पर दरार पड़ना या खरोंच पड़ना, जब तक कि यह परिवहन साधन पर हुई अग्नि या दुर्घटना से घटित न हो।
3. यांत्रिक या विद्युतीय बिगाड़/टूटफूट से किसी वस्तु की हानि या क्षति, जब तक कि यह दुर्घटनात्मक बाह्य कारणों के कारण न हो।
4. घड़ियां और क्लॉक्स (बड़ी घड़ियां) पर अधिक चाबी भरने और उन पर खरोंच पड़ने अथवा उनकी आंतरिक क्षति।
5. धन, प्रतिभूति, प्रलेख, बॉण्ड, विनिमय पत्र, प्रोनोट, स्टॉक या शेयर प्रमाणपत्र, स्टैंप और यात्रा टिकट अथवा यात्री चैक, कारोबार बहियां अथवा दस्तवेजों की हानि या क्षति।

6. किसी कार से चोरी, केवल उन कार से हुई चोरी को छोड़कर जो पूर्णत: बन्द सलून प्रकार की हो और चोरी के कारण जिसके, सभी द्वार, खिड़कियां और खुले भाग सुरक्षापूर्वक तालाबंद हों और उपयुक्त ढंग से बंद किए गए हों।

7. युद्ध, युद्ध सदृश्य गतिविधियां और विदेशी शत्रुओं का प्रकट युद्ध (चाहे युद्ध घोषित हो अथवा नहीं) गृह युद्ध, बगावत, राजद्रोह, सेना या अन्य द्वारा शासन हथियाना, (अधिग्रहण बंदीकरण, अधिग्रहण) गिरफ्तारी, प्रतिबंध और किसी सरकार या अन्य प्राधिकरण द्वारा रोक के कारण हानि या क्षति, चाहे यह इनसे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उद्भूत हो। किसी कार्रवाई, वाद या अन्य प्रक्रिया में जहां कंपनी यह अधिरोपित करे कि उपर्युक्त प्रावधानों के आधार पर कोई हानि या क्षति इस बीमा द्वारा आवरित नहीं है, यह सिद्ध करने का दायित्व बीमाकृत व्यक्ति पर होगा कि ऐसी हानि या क्षति आवरित है।
8. सीमा शुल्क या अन्य प्राधिकरण द्वारा किए गए विलंब, रोक या जब्ती से उत्पन्न हानि या क्षति।
9. **क)** किसी भी प्रकार की संपत्ति की हानि, विनाश या क्षति अथवा उससे उत्पन्न किसी भी प्रकार का व्यय अथवा किसी भी प्रकृति की कोई परिणामी हानि और कोई भी विधिक दायित्व जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आवनीकृत विकिरण अथवा किसी भी स्त्रोत से उत्पन्न रेडियोधर्मिता के प्रदूषण से उत्पन्न हो।

   ख) कोई दुर्घटना, हानि, विनाश, क्षति या विधिक दायित्व जो न्यूक्लीय शस्त्र सामग्री से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उत्पन्न हो, उस पर आधारित हो अथवा उससे पैदा हो।
10. किसी भी प्रकार की परिणामी हानि या विधिक दायित्व।
11. बीमाकृत व्यक्ति द्वारा किए गए या किए जाने वाले किसी कार्य पर आश्रित या उसके कारण जिससे एतद् बीमाकृत जोखिम में अनावश्यक रूप से वृष्टि हो।

<u>प्रतिबंध</u>

विशेष:-

1. **एकल वस्तु सीमा:** जब तक कि विशिष्ट रूप से और पृथक रूप में वर्णित न हो, प्रत्येक वस्तु या वस्तुओं की जोड़ी के प्रति कंपनी का दायित्व इस पॉलिसी के अंतर्गत कुल बीमा मूल्य को 5% राशि से अधिक नहीं होगा।
2. **जोड़ी या सेट में वस्तुएं:** यदि यहां बीमाकृत कोई वस्तु जोड़ी या सेट में हो तो उनके संबंध में कंपनी का दायित्व ऐसी वस्तुओं का ऐसी जोड़ी या सेट में उनके विशेष वस्तुओं का ऐसी जोड़ी या सेट में उनके विशेष मूल्य पर ध्यान न देते हुए उस हिस्से विशेष के मूल्य से अधिक नहीं होगा जो गुम या क्षतिग्रस्त हो गई हो, न ही कंपनी का दायित्व जोड़ी या सेट के बीमा मूल्य के आनुपातिक अंश से अधिक होगा।

सामान्य:-

1. **सूचना:** इस पॉलिसी द्वारा अपेक्षित कंपनी को भेजे जाने वाला प्रत्येक नोटिस और संदेश लिखित रूप में कंपनी के उस कार्यालय को भेजा जाएगा जिसके जरिए बीमा प्रभावी किया गया हो।
2. **प्रकटीकरण का कर्तव्य:** किसी महत्वपूर्ण तथ्य के मिथ्या कथन, गलत विवरण अथवा गैर-प्रकटीकरण की स्थिति में यह पॉलिसी अमान्य हो जाएगी और उस पर प्रदत्त सभी प्रीमियम कंपनी के पक्ष में जब्त हो

जाएंगे।

3. **यथोचित सावधानी:** दुर्घटना, हानि या क्षति के प्रति बीमाकृत संपत्ति की सुरक्षा के लिए बीमाकृत व्यक्ति सभी यथोचित कदम उठाएगा।

4. **दावा प्रक्रिया:** कोई घटना होने पर जिससे इस पॉलिसी के अंतर्गत दावा उत्पन्न हो या दावा उत्पन्न होने की आशंका हो-

क) बीमाकृत व्यक्ति द्वारा इसकी लिखित सूचना तुरंत नजदीकी कार्यालय पर देनी होगी जिसकी प्रतिलिपि कंपनी के पॉलिसी जारीकर्ता कार्यालय को भेजनी होगी तथा साथ ही तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज करनी होगी। बीमाकृत व्यक्ति द्वारा उस रेलवे, स्टीमशिप कंपनी, एयरलाइन, होटल मालिक अथवा किसी प्राधिकारी को भी सूचित किया जाएगा जिसकी अभिरक्षा में किसी हानि या क्षति घटित होते समय संपत्ति रही हो।

ख) जिस तिथि को घटना की जानकारी बीमाकृत व्यक्ति को प्राप्त हो उसके 14 दिन के अंदर बीमाकृत व्यक्ति द्वारा हानि या क्षति का लिखित विस्तृत विवरण कंपनी के पास प्रस्तुत किया जाएगा जिसके साथ गुम हुई संपत्ति का अंतर्निहित मूल्य और क्षति की राशि का आकलन हो।

बीमाकृत व्यक्ति द्वारा यहां दावे के संबंध में कंपनी को सभी यथोचित जानकारी, सहायता और प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे और यदि अपेक्षित हो तो ऐसे दावे के समर्थन में वचनपत्र या सांविधिक घोषणा प्रस्तुत की जाएगी।

5. **क्षतिपूर्ति:** हानि या क्षति की राशि का भुगतान करने के बजाए कंपनी गुम या क्षतिग्रस्त (जैसा भी प्रकरण हो) संपत्ति का पुन:स्थापन्न कर सकती है, उसकी मरम्मत अथवा प्रतिस्थापन्न कर सकती है। इस पॉलिसी के अंर्तगत हानि के प्रति किसी दावे का भुगतान करने पर यह संपत्ति जिसके संबंध में भुगतान किया गया है, कंपनी के स्वामित्व में आ जाएगी।

6. औसत: यदि हानि या हानि होते समय एतद्द्वारा बीमाकृत संपत्ति का सामूहिक मूल्य उस पर बीमा मूल्य से अधिक हो तो शेष राशि के लिए बीमाकृत व्यक्ति को अपना स्वयं का बीमाकर्ता माना जाएगा और उसके द्वारा तदानुसार हानि या क्षति का आनुपातिक अंश वहन किया जाएगा। यदि पॉलिसी के अंतर्गत एक से अधिक मद हों तो प्रत्येक मद पृथक रूप से उस औसत शर्त के अध्यधीन होगा।

7. **अंशदान:** यदि इस पॉलिसी द्वारा आवरित हानि या क्षति के घटित होते समय उसी हानि या क्षति को आवरित करने वाला किसी भी प्रकृति का कोई अन्य बीमा विद्यमान हो जिसे चाहे बीमाकृत व्यक्ति द्वारा लिया गया हो अथवा नहीं, तो कंपनी किसी हानि या क्षति के लिए अपनी आनुपातिक राशि से अधिक के भुगतान के लिए दायी नहीं होगी।

8. **प्रस्थापन:** बीमाकृत व्यक्ति या इस पॉलिसी के अंतर्गत किसी दावेदार द्वारा कंपनी के खर्च पर वे सभी कार्य व चीजें की जाएंगी, उन्हें करने में सहमति दी जाएगी या उन्हें करने की अनुमति दी जाएगी जो आवश्यक हों या जिन्हें कंपनी द्वारा किसी अधिकार या उपचार के लिए अथवा इस पॉलिसी के अंतर्गत बीमाकृत के लिए अन्य पक्षकारों से राहत व क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए अपेक्षित समझा जाए, जिनके प्रति कंपनी इस पॉलिसी के अंतर्गत हानि या क्षति के भुगतान के बाद प्रस्थापन के तहत हकदार होती, चाहे, ऐसे कार्य या चीजें कंपनी द्वारा बीमाकृत व्यक्ति की क्षतिपूर्ति किए जाने से पूर्व या उसके पश्चात् आवश्यक या अपेक्षित समझे जाए।

9. **धोखाधड़ी:** यदि इस पॉलिसी के अंतर्गत कोई दावा किसी भी रूप में धोखाधड़ी पर आधारित हो अथवा यदि बीमाकृत व्यक्ति द्वारा या बीमाकृत व्यक्ति के एवज में कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इस पॉलिसी के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए कोई धोखाधड़ी की प्रक्रिया या साधन इस्तेमाल किया गया हो तो पॉलिसी के अंतर्गत समस्त लाभ और अधिकार जब्त हो जाएंगे।

10. **निरसन:** बीमाकृत व्यक्ति को उसके अंतिम ज्ञात पते पर सात दिन का लिखित नोटिस दिए जाने पर कंपनी किसी भी समय इस पॉलिसी को निरस्त कर सकती है, जिस प्रकरण में निरसन तिथि से शेष असमाप्त

अवधि के लिए कंपनी द्वारा बीमाकृत व्यक्ति को आनुपातिक प्रीमियम लौटाया जाएगा।

बीमाकृत व्यक्ति द्वारा भी इस पॉलिसी के निरसन के लिए कंपनी को सात दिन का लिखित नोटिस दिया जा सकता है जिस प्रकरण में पॉलिसी जारी रहने की अवधि के लिए कंपनी द्वारा अल्प अवधि प्रीमियम दर पर प्रीमियम प्रतिधारित किया जाएगा।

11. **आर्बिट्रेशन (पंच निर्णय) और अस्वीकरण:** यदि इस पॉलिसी के अंतर्गत दावे की मात्रा के संबंध में कोई मतभेद हो (दायित्व अन्यथा स्वीकार किए जाने पर) तो ऐसे मतभेदों को अन्य सभी प्रश्नों से स्वतंत्र रखते हुए निर्णय हेतु आर्बिट्रेशन के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा जिसे मतभेद वाले पक्षकारों द्वारा लिखित रूप में नियुक्त किया जाएगा। यदि वे एक आर्बिट्रेटर पर सहमत न हों तो मामले को दो स्वतंत्र आर्बिटेटरों के सम्मुख रखा जाएगा जिनमें प्रत्येक पक्षकार द्वारा लिखित रूप में एक आर्बिट्रेटर की नियुक्ति की जाएगी। समय-समय पर संशोधित और तत्समय प्रभावी भारतीय आर्बिट्रेशन अधिनियम 1940 के प्रावधानों के अनुसार एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को ऐसी नियुक्ति के संबंध में लिखित रूप में दिए जाने के दो कैलेंडर माह के अंदर दूसरे पक्षकार द्वारा आर्बिट्रेटर की नियुक्ति की जाएगी। यदि लिखित नोटिस मिलने के दो कैलेंडर माह की अवधि के अंदर कोई पक्षकार आर्बिट्रेटर की नियुक्ति के लिए इन्कार करता है अथवा ऐसी नियुक्ति करने में असफल रहता है तो दूसरे पक्षकार को एकमात्र आर्बिट्रेटर नियुक्त करने का अधिकार होगा। यदि आर्बिट्रेटरों के मध्य असहमति हो तो ऐसे मतभेद को अंपायर के निर्णय के लिए प्रस्तुत किया जाएगा जिस अंपायर को उनके द्वारा लिखित रूप में नियुक्त किया जाएगा और जो उनके मध्य बैठकर बैठकों की अध्यक्षता करेगा।

यह स्पष्ट स्वीकार किया जाता है और समझा जाता है कि यदि कंपनी ने दायित्व के विषय में कोई विवाद किया हो अथवा दायित्व स्वीकार नहीं किया हो तो किसी भी विवाद को उपर्युक्त रीति से पंचनिर्णय (आर्बिट्रेशन) के लिए प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।

एतद्द्वारा यह स्पष्टत: निर्धारित और घोषित किया जाता है कि हानि या क्षति की राशि के संबंध में ऐसे आर्बिट्रेटर या आर्बिट्रेटरों या अंपायर का पंचाट प्राप्त किया जाना इस पॉलिसी के अंतर्गत किसी कार्रवाई या वाद के अधिकार की पूर्वगामी शर्त होगी।

यह भी एतद्द्वारा पुन: स्पष्ट: स्वीकार और घोषित किया जाता है कि यदि कंपनी द्वारा बीमाकृत व्यक्ति के प्रति दायित्व अस्वीकार किया जाता है और ऐसे अस्वीकरण की तिथि से 12 कैलेंडर माह के अंदर ऐसा दावा किसी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जाता तो सभी प्रयोजनों के लिए दावे का परित्याग किया गया समझा जाएगा और उसके पश्चात् वह यहां वसूली योग्य नहीं होगा।

12. **शर्तों और प्रतिस्पर्धा का अनुपालन**: उन पॉलिसी की शर्तों, प्रतिबंधों और पृष्ठांकनों का विधिवत् अनुपालन और परिपूर्ण किया जाना, जहां तक उनका संबंध बीमाकृत व्यक्ति द्वारा किसी कार्य को किए जाने या अनुपालन किए जाने से हो, पॉलिसी के अंतर्गत भुगतान किए जाने की कंपनी के दायित्व की पूर्वगामी शर्त होगी।

13. **नवीकरण सूचना:** कंपनी न तो नवीकरण प्रीमियम स्वीकार करने और न ही इस निमित्त सूचना देने के लिए बाध्य है।

नोट :- अगर इस नीति के किसी भी शब्द या पैरा के कानूनी व्याख्या के बारे में कोई विवाद है तो अंग्रेजी संस्करण को सही और विधिमान्य होगा।

दि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

प्रधान कार्यालय:ए-25/27, आसफ अली रोड, नई दिल्ली - 110002

<u>'सर्वजोखिम' दावा फार्म</u>

फार्म के इस रूप को दायित्व की स्वीकारोक्ति के रूप में न लें

दावाकर्ता द्वारा उत्तर दिए जाने वाले प्रश्न

'इस फार्म को पूर्ण भरें तथा कंपनी को तुरंत वापिस करना चाहिए'

पॉलिसी सं.....

दावा सं.....

1. नाम व पता	
2. पॉलिसी सं.	
3. हानि/दुर्घटना की तारीख	
4. हानि/क्षति का विवरण	
5. हानि/क्षति का कारण	
6. यदि चोरी द्वारा- क) समय व दिन ख) कैसे घटित हुई ग) किसके द्वारा व कब पता चला? घ) क्या पुलिस को सूचित किया गया है, यदि ऐसा है, तो कब? ङ) पुलिस जांच के परिणाम, यदि कोई है?	
7. क्या आप किसी अन्य पॉलिसी के तहत इस बीमित के नुकसान के प्रति बीमा ले रहे हैं?	

मैं .....घोषिणा करता हूँ कि पूर्वगामी वक्तव्य मैरे ज्ञान और विश्वास से सत्य हैं, इस प्रकार के अन्य भागों में वर्णित आलेखों और संपत्ति को वर्णित परिस्थिति में खो दिया गया/चोरी या क्षतिग्रस्त हो गया है और ऐसी वस्तुएं और संपत्ति नामित व्यक्तियों की हैं, किसी अन्य व्यक्ति की इसमें, चाहे मालिक के रूप में, बंधक, ट्रस्टी या अन्यथा, कोई दिलचस्पी नहीं है

बीमाकर्ता के हस्ताक्षर

स्थान : .....

दिनांक :.....